उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 20 | 16-31 अक्टूबर 2022 | ₹ 20/-

मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन का देवबंद द्वारा विरोध

- राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द
- सलमान रुश्दी हुए विकलांगता का शिकार
- ईरान में मस्जिद में घुसकर शियाओं की हत्या
- पाकिस्तान को डेढ़ अरब डॉलर की सहायता

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन का देवबंद द्वारा विरोध 04
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उर्दू मीडिया के निशाने पर 07
नफरती भाषण देने के आरोप में आजम खान को तीन वर्ष की सजा 11
राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द 14
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की राज्य सरकार से टक्कर 15

विश्व

सलमान रुश्दी हुए विकलांगता का शिकार 17
अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के एजेंटों की हत्या 18
केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या की जांच की मांग 19
म्यांमार की सेना पर गंभीर आरोप 20
फ्रांस दो हजार यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण देगा 21

पश्चिम एशिया

ईरान में मस्जिद में घुसकर शियाओं की हत्या 22
मस्जिद-ए-नबवी में हंगामा करने वाले पाकिस्तानी रिहा 23
यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का फैसला रद्द 24
तुर्की की खदान में धमाके से 61 मरे 25
ईरान में दस इजरायली जासूस गिरफ्तार 25

अन्य

ईरान में बीबीसी की फारसी सेवा पर प्रतिबंध 26
एशियाई विकास बैंक द्वारा पाकिस्तान को डेढ़ अरब डॉलर की सहायता 26
दिल्ली के इमामों को वेतन न मिलने से परेशानी 26
बलूचिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की हत्या 27
सऊदी कंपनी के अधिकारी उत्तराखंड जेल में 27

सारांश

विश्व में मुसलमानों के दो संप्रदायों शिया और सुन्नियों के बीच रक्तपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक अफगानिस्तान में सुन्नियों के आतंकवादी संगठन खिलाफत इस्लामिया (आईएसआईएस) द्वारा शिया मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी। जबसे तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आए हैं, यह सुन्नी संगठन निर्दोष लोगों की हत्या करने में जुटा हुआ है। कहा जाता है कि इस खून की होली का कारण खिलाफत इस्लामिया और अलकायदा के बीच होड़ है। अब ईरान में भी इस संगठन ने शियाओं की हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। ताजा घटना शिराज की पवित्र दरगाह शाह चिराग मजार पर हमले की है। इस दरगाह को शियाओं की दूसरी सबसे पवित्र दरगाह माना जाता है और इसमें शियाओं के इमाम अहमद बिन मूसा अल-काजिम के बेटे दफन हैं। कहा जाता है कि जब श्रद्धालु इस दरगाह में जियारत कर रहे थे तो आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे कम-से-कम 15 निर्दोष मारे गए, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इस हमले की जिम्मेवारी आईएसआईएस ने ली है। वैसे भी ईरान में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हिजाब को जबरन महिलाओं पर लागू करने के ईरान सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन दिन-प्रतिदिन उग्र रूप ले रहा है। अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 14 हजार लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है। हाल ही में ईरान सरकार के निर्देश पर सेना ने वहां क सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामिक मदरसों का जो सर्वेक्षण शुरू किया था वह लगभग पूरा हो चुका है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार साढ़े सात हजार इस्लामिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। अभी प्रशासन ने राज्य सरकार को इस सर्वेक्षण के बारे में पूर्ण रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधकों ने अचानक अपने रूख में परिवर्तन कर लिया है। इससे पूर्व दारूल उलूम देवबंद ने इस्लामिक मदरसों को यह निर्देश दिया था कि वे इस सर्वेक्षण में सरकार को पूरा सहयोग दें।

हाल ही में दारूल उलूम देवबंद में दश भर के इस्लामिक मदरसों के प्रबंधकों एवं मुस्लिम विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें छह हजार से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का दावा किया गया है। इस सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं ने सरकार क खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। सम्मेलन में यह घोषणा की गई है कि कोई इस्लामिक मदरसा किसी भी सरकारी मदरसा बोर्ड से संबंधित न हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि इस्लामिक मदरसों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करके आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित या अंग्रेजी आदि को शामिल न किया जाए। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष और दारूल उलूम देवबंद क शेख उल हदीस मौलाना अरशद मदनी ने यह घोषणा की है कि हम किसी भी मदरसे के संचालन के लिए सरकार से कोई सहायता नहीं लेंगे और न ही किसी भी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमं ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, जिनके हाथ में लैपटॉप हो, बल्कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस्लाम और दीन का अनुसरण करके मुसलमानों को दीन और इस्लाम की शिक्षा दे सकें और उन्हें नमाज आदि पढ़ा सकें।

इस सर्वेक्षण से एक सनसनीखेज जानकारी यह भी मिली है कि उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख इस्लामिक शिक्षा संस्थानों दारूल उलूम देवबंद और मजाहिर उलूम, सहारनपुर का संबंध किसी भी मदरसा बोर्ड से नहीं है।

हाल ही में प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की जो चार दिवसीय बैठक हुई थी, उसे उर्दू समाचारपत्रों ने काफो स्थान दिया है। हालांकि उनके अधिकांश समाचार आलोचनात्मक हैं। गत दिनों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से वार्ता का जो सिलसिला शुरू किया था, उसका भी पहली बार खुलकर समर्थन किया गया है।

मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन का देवबंद द्वारा विरोध

इंकलाब (31 अक्टूबर) के अनुसार विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद ने देश भर के इस्लामिक मदरसों से संबंधित अध्यापकों, प्रबंधकों और उच्च कोटि के इस्लामिक विद्वानों का जो अधिवेशन बुलाया था, उसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस्लामिक मदरसों को किसी भी बोर्ड से न तो संबंधित होने और न ही सरकार से किसी भी तरह की मान्यता या सहायता लेने की जरूरत है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर मदरसों के पाठ्यक्रम में कोई संशोधन किया गया तो उससे इन इस्लामिक मदरसों की स्थापना का उद्देश्य और लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमें किसी भी तरह का पाठ्यक्रम में संशोधन स्वीकार नहीं है।

समाचारपत्र के अनुसार इस अधिवेशन में देश भर के छह हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने की। इस अवसर पर जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह देश भर के मदरसों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क को डॉक्टरों, विधिवेत्ताओं और इंजीनियरों की जरूरत है। इसी तरह से हमारो कौम को बेहतर से बेहतर मुफ्ती और आलम-ए-दीन की जरूरत है और यह सिर्फ मदरसे ही पूरी कर सकते हैं। अगर उनके पाठ्यक्रम में कोई संशोधन किया जाता है तो उससे इन मदरसों की स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, जो हमें स्वीकार नहीं है।

अधिवेशन में देश के मुसलमानों से अपील की गई कि वे मदरसों को किसी भी मदरसा बोर्ड से संबंधित करने या सरकारी सहायता के प्रस्ताव

को स्वीकार न करें और न ही मदरसों के पाठ्यक्रम में संशोधन और उसमें आधुनिक विषयों को शामिल करने के प्रस्ताव पर ही ध्यान दें, बल्कि वे पुराने पाठ्यक्रम को ही जारी रखें। मौलाना नोमानी ने कहा कि हमें अपने मदरसों और मस्जिदों के लिए किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। अगर सरकार इस्लामिक मदरसों के बारे में सर्वे करती है तो मुसलमान किसी खौफ या परेशानी का शिकार न हों। न ही मीडिया के लोगों से कोई नकारात्मक बातचीत करें। मदरसों से संबंधित सभी दस्तावेजों को वे दुरुस्त रखें और अगर कोई मांगता है तो उसे इन दस्तावेजों को दें। मदरसों के प्रबंधकों, अध्यापकों और छात्रों के आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र के बारे में पूरी जानकारी दें और मदरसों के वित्तीय मामलों को सरकार के नियमों के अनुसार चुस्त-दुरुस्त रखें। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों का वजूद देश की तरक्की और विकास के लिए है, विरोध के लिए नहीं। इस बात का साक्षी इस्लामिक मदरसों का सैकडों वर्षों का इतिहास है। मदरसों में विशुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और इसका अधिकार हमें देश क संविधान में दिया गया है। संविधान ने हमें अपने शिक्षा संस्थानों को चलाने की पूरी आजादी दी है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि इन मदरसों में किसी तरह की देशविरोधी गतिविधियां की जाती हैं। उन्हांने कहा कि यह झूठा प्रचार है, जिसका कोई आधार नहीं है।

इत्तेमाद (31 अक्टूबर) के अनुसार अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों को किसी भी बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। हम मदरसों के लिए सरकारी मदद पर थूकते हैं। दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के उद्देश्यों को नहीं समझ सकता। मदरसा के लोगों न ही इस देश को आजाद कराया है, मगर अफसोस है कि आज हमें बदनाम किया जा रहा है और हम पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है। जब देश के हर धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार व प्रसार का काम करते हैं, तो हम पर क्यों रोक लगाई जा रही है? हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उन्होंने कहा कि मदरसों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मुसलमान दीनी मदरसों का बोझ उठा रहे हैं और वे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दारूल उलूम देवबंद के निर्माण के कामों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि पहले हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी।

सालार (31 अक्टूबर) के अनुसार अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन और सरकारी सहायता हमें स्वीकार्य नहीं है। मदरसों को किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं। मदरसों के शिक्षा स्तर को सरकार नहीं हम सुधारेंगे। हमें लैपटॉप वाले नहीं, बल्कि कुरान वाले धार्मिक लोग चाहिए, जो देहातों, जंगलों और शहरों में नमाज पढ़ा सकें और दीन सीखा सकें।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में साढ सात हजार से अधिक इस्लामिक मदरसे ऐसे हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। इन मदरसों में दारूल उलूम देवबंद, सहारनपुर का मजाहिर उलूम जैसे संस्थान भी शामिल हैं, जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते और न ही वे किसी भी मदरसा बोर्ड से संबंधित हैं। सहारनपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतलाल गौड़ ने बताया कि जिला सहारनपुर में दारूल उलूम देवबंद और मजाहिर उलूम सहित ऐसे 306 मदरसे हैं, जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते हैं और वे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाया जाता। दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस बात की पुष्टि की कि दारूल उलूम देवबंद का किसी बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। यह एक स्वतंत्र कानूनी संस्थान है, जो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। यह संस्थान संविधान की धारा

25 के तहत धार्मिक शिक्षा देता है और पिछले डेढ़ सौ वर्षों से भी ज्यादा अवधि से जनता के चंदे से चल रहा है और उसने आज तक किसी भी सरकार से कोई सहायता नहीं ली।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस्लामिक मदरसों के सर्वे करवाने का जो फैसला किया था, उसका काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे से किसी मदरसे को गैर कानूनी या कानूनी सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इस सर्वे के बारे में जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और यह निंदनीय है। इन मदरसों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, मगर इसकी पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सियासत (27 अक्टूबर) ने एक संपादकीय में कहा है कि हिंदुस्तान में दीनी मदरसे संघ परिवार के निशाने पर हैं। सहारनपुर के अधिकारियों ने देश के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद को गैर कानूनी और गैर मान्यता प्राप्त घोषित किया है। सहारनपुर जिलाधिकारियों के अनुसार जिले में 306 मदरसे गैरमान्यता प्राप्त हैं। जिला के 754 मदरसों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास है। इनमें से 664 मदरसों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। 80 मदरसों में 8वीं तक और बाकी मदरसों में 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार दीनी मदरसों में हस्तक्षेप करना चाहती है और संघ परिवार खुलेआम इस्लाम और मुस्लिम विरोधो एजेंडा चला रहा है, तथा मुसलमानों में प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। जब भी कोई समस्या आती है ता वे बयानबाजी तक ही सीमित रहते हैं।

कौमी तंजीम (27 अक्टूबर) के अनुसर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस्लामिक मदरसों का सर्वे कराने और उन्हें गैर मान्यता प्राप्त घोषित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार के अनुसार राज्य में साढ़े सात हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जब ये मदरसे सरकार पर बोझ नहीं हैं, तो सरकार उनमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? क्या सरकार का इरादा इन मदरसां को सरकारी मदरसा बनाने का है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उर्दू मीडिया के निशाने पर

इंकलाब (29 अक्टूबर) ने कहा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक विशेष वर्ग को कटघरे में खड़ा करने के अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तेज करने की तैयारी कर रहा है। वह इस मामले को घर-घर ले जाएगा और जनसंख्या में हो रहे असंतुलन के नकारात्मक पहलू से जनता को अवगत कराएगा। इसके साथ ही संघ हर गांव में अपनी शाखाएं स्थापित करने की भी योजना बना चुका है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि यह जानकारी उसे संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त हुई है। आरएसएस के गोरखपुर प्रांत संघचालक डॉ. पृथ्वीराज सिंह, प्रांत सह संघचालक डॉ. महेंद्र अग्रवाल और प्रांत संपर्क प्रमुख प्रो. संजीत गुप्ता का कहना है कि आरएसएस जनसंख्या के बढ़ते हुए असंतुलन से बहुत चिंतित है। यह देश के लिए खतरनाक है। इससे न केवल वर्तमान संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि यह देश और समाज के लिए भी खतरनाक है। इसलिए आरएसएस के नेतृत्व ने यह तय किया है कि इसके नकारात्मक प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान के बारे में देश के हर नागरिक को अवगत कराया जाए। संघ इसके लिए हर घर से संपर्क स्थापित करेगा, ताकि देश भर के लोगों को जागरूक किया जा सके। इतना ही नहीं, आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष समारोह तक देश के हर गांव में शाखा स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है।

संघ के इन पदाधिकारियों ने यह दावा किया है कि इन दोनों मामलों की रूप-रेखा तैयार की जा चुकी है और उसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। गत सप्ताह प्रयागराज में हुए संघ के चार दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भी इन मामलों पर विचार किया गया था। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सहित सभी पदाधिकारी शामिल थे। इसमें 45 प्रांतों के प्रांत संघचालक, दर्जनों सह संघचालक, कार्यवाह तथा प्रचारक भी शामिल हुए थे। मोहन भागवत ने

प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष रूप से मुलाकात की थी, जिसमें देश और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति एवं धर्मांतरण के मामले पर बातचीत हुई थी। यह अनुमान है कि योगी सरकार जल्द ही जनसंख्या नीति का मसौदा लाएगी और इसके अतिरिक्त धर्मांतरण के मामले में भी सख्त रूख अपनाया जाएगा। योगी सरकार इससे पहले ही विभिन्न धर्मों के बीच विवाह के कानून को काफी सख्त कर चुकी है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि प्रशासन का रूख एकपक्षीय है। एक विशेष धर्म से संबंधित लड़का अगर ऐसी शादी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त रूख अपनाया जाता है, मगर अगर कोई बहुसंख्यक समाज का लड़का किसी अल्पसंख्यक लड़की से विवाह करता है, तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती।

समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि संघ को पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में काफी चिंता है। उसे असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को जारी रहने का भी शक है। उसका यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, इसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए जिम्मेवार हैं। त्रिपुरा और मेघालय की जनसंख्या का भी आरएसएस असंतुलित मानता है। हालांकि वह इन राज्यों में ज्यादा चीख-पुकार नहीं मचाता। संघ केरल, उत्तराखंड और हरियाणा की जनसंख्या के बार में भी चिंतित है। केरल में ईसाई और मुसलमान जनसंख्या काफी है, जो आरएसएस के अनुसार असंतुलित है। हालांकि आरएसएस के इस अभियान को 2024 के लोकसभा के चुनाव से भी देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा उठाकर संघ भाजपा को वोट बैंक का लाभ पहुंचाना चाहता है। संघ के पदाधिकारी इस बात पर खामोश हैं कि यह अभियान कब गति पकड़ेगा? और इसकी रूप-रेखा क्या है? इस समय देश भर में संघ की 61 हजार शाखाएं हैं आर उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है।

अवधनामा (20 अक्टूबर) ने इस संबंध में जो समाचार प्रकाशित किया है, उसका शीर्षक है, 'प्रयागराज में आरएसएस ने अलापा आबादी का राग', 'धर्मांतरण और घुसपैठ जनसंख्या में असंतुलन का मुख्य कारण-होसबले'

समाचारपत्र के अनुसार संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने संवाददाताओं का संबोधित करते हुए कहा है कि देश में जनसंख्या का जो असंतुलन है, उसका कारण धर्मांतरण और घुसपैठ है। बांग्लादेश के नजदीकी क्षेत्रों में इस घुसपैठ के कारण एक विशेष वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुइ है। होसबले ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। संघ इस संदर्भ में जन-जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके कारण घर वापसी को लेकर अच्छे

परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की जनंसख्या कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन हुआ है और इसी कारण भारत का विभाजन एक बार पहले हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्मांतरण करते हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों के आरक्षण को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। संघ की इस बैठक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार किया गया।

अखबार-ए-मशरिक (17 अक्टूबर) ने एक संपादकीय में आरएसएस पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया है और कहा है कि अभी तक राजनीतिक लोग ही इस संबंध में बदनाम थे, मगर अब संघ भी इसमें शामिल हो गया है और इसका संकेत विजयादशमी पर संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के उद्बोधन से मिलता है। मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ शरारती तत्व भारतीय समाज में दहशत फैलाने में लगे हुए हैं, ताकि आरएसएस और हिंदू राष्ट्र पर अल्पसंख्यकों का विरोधी होने का आरोप लगाया जा सके। समाचारपत्र का कहना है कि हालांकि तथ्य इसके विपरीत हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों में भारी वृद्धि हुई है, मगर संघ प्रमुख इस तरह के बयान देकर ऐसे कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में सिर्फ दो घटनाओं का उल्लेख करना जरूरी है। कर्नाटक में एक हिंदू जुलूस ने एक मदरसे में दाखिल होकर पूजा पाठ किया, जबकि गुजरात और देश के कुछ अन्य भागों में हिंदुत्व के रक्षकों ने लव जिहाद की आड़ लेकर मुसलमानों को गरबा कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया।

भागवत ने जनसंख्या में असंतुलन के लिए एक विशेष धर्म को निशाना बनाया है, जिसका लक्ष्य समाज में भय का वातावरण पैदा करना है। संघ की ओर से मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है, उसका खंडन सरकारी आंकड़े करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दशकों में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमानों में जनसंख्या का अनुपात तेजी से गिर रहा है। आग में घी डालने की बजाय सबको मिलकर इस आग को बुझाने की चिंता करनी चाहिए। मोहन भागवत को अपनी विचारधारा से संबंधित लोगों को इस संदर्भ में एक स्पष्ट संदेश जरूर देना चाहिए। मगर असली समस्या यह है कि वे और उनका संगठन एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो स्वाभाविक तौर पर समाज में नफरत को प्रोत्साहन देती है और भारत की बहुसंस्कृतिवाद के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वह तब तक खोखले रहेंगे, जब तक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के निशाने पर रहते हैं। आरएसएस के नेता अगर देश का भला चाहते हैं तो उन्हें अपने संगठन की कट्टरवादी और अल्पसंख्यक दुश्मनी सोच का इलाज करना होगा, वरना इस तरह की गैर जरूरी बयानबाजी ज्यादा देर तक उनके काम नहीं आएगी।

सियासत (20 अक्टूबर) ने 'आरएसएस के बढ़ते कदम' शीर्षक के संपादकीय में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संगठन में ज्यादा-से-ज्यादा महिलाओं और छात्रों को शामिल करने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे संकेत मिले हैं कि संघ शीघ्र ही प्रमुख पदों पर महिलाओं को मनोनीत करेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल के अधिवेशन में इस बात पर विचार किया गया कि संघ से जुड़े हुए संगठनों में महिलाओं की ज्यादा-से-ज्यादा भागीदारी का प्रयास किया जाए। हालांकि आरएसएस की जो बैठकें होती हैं वह रहस्य के वातावरण में होती हैं और उनकी कार्यवाही मीडिया में पूर्ण रूप से नहीं आती। फिर भी मीडिया को जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आरएसएस चाहता है कि सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहन देने में महिलाओं को ज्यादा-से-ज्यादा भूमिका सौंपी जाए। ग्रामीण स्तर पर संघ महिलाओं को अपनी गतिविधियों में अधिक शामिल करना चाहता है। संघ देश के चप्पे-चप्पे में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है और इसका एजेंडा देश को एक रंग में रंगना है। संघ की गतिविधियों से देश की गंगा-जमुनी सभ्यता और सांप्रदायिक सद्भावना को निरंतर खतरा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों को संघ परिवार से निरंतर खतरा रहा है, क्योंकि आरएसएस मुसलमानों की अलग पहचान की दुश्मन है। इसकी गतिविधियों का लक्ष्य मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है।

समाचारपत्र का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राजनीतिक विंग है। इस समय न सिर्फ केंद्र बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में भी भाजपा सत्तारूढ़ है। जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको भी अस्थिर किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि कोई भी पार्टी या संगठन संघ के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। सेक्युलर समझी जाने वाली पर्टियों को अपन वजूद का खतरा है। आरएसएस के एजेंडे को कार्यान्वित करते हुए ही नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश क एक मात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू-कश्मोर की पुरानी स्थिति समाप्त कर दी है और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। इस आक्रामक कदम का जिन्होंने विरोध किया, उन्हें या तो कैद कर दिया गया या उन्हें इस तरह मजबूर किया गया कि वे चुप्पी साध लें।

सहाफत (27 अक्टूबर) में गुलाम गौस का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आरएसएस से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समय केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है वह आरएसएस से संबंधित है, इसलिए आरएसएस मुसलमानों को कठिनाईयों को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संभव है कि कुछ लोग इस बातचीत का विरोध करें, मगर इस तरह के विरोध का सामना तो सर सैयद से लेकर मौलाना आजाद तक को करना पड़ता रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों के संघ पमुख मोहन भागवत

के साथ हुई बैठक को ही अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने मोहन भागवत से मुलाकात की वे कौम के उच्च बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए यह महसूस किया कि संघ के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जाए। क्या यह सोच गलत है? इस मुलाकात से क्या मुसलमानों को कोई नुकसान हुआ है?

सच तो यह है कि मुसलमान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट नहीं है। कुछ लोगों को यह भी आपत्ति है कि इन पांच लोगों ने ही संघ प्रमुख से क्यों मुलाकात की? सवाल यह पैदा होता है कि मुसलमानों की कौन सी ऐसी संस्था है, जो इस स्थिति में है कि वह देश भर के मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करे और उसे कौम ने अन्य लोगों से बातचीत करने का अधिकार दिया हो। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक नहीं हैं। हालांकि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर राजनीतिक दल से बातचीत करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस बातचीत से क्या नतीजा निकलेगा। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हर राज्य में मुसलमान हर उस पार्टी से बातचीत करें, जो सत्ता में है।

नफरती भाषण देने के आरोप में आजम खान को तीन वर्ष की सजा

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक परेशानी से बाहर आते भी नहीं कि दूसरी मुसीबत में घिर जाते हैं। ताजा मामला तो बहुत ज्यादा संगीन है। अदालत ने उन्हें आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है और छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह मुकदमा वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने रामपुर कोतवाली में दर्ज करवाया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान का भाषण आपत्तिजनक था, जिससे हिंसा भड़क सकती थी। चौहान ने वायरल वीडियो का जायजा लेने के बाद यह एफआईआर दर्ज कराने का दावा किया था।

इंकलाब (29 अक्टूबर) के अनुसार आजम खान को सजा दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी विधान सभा की सदस्यता रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के एक निर्णय के अनुसार यदि किसी भी विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक कैद को सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इससे पूर्व जनप्रतिनिधि कानून में यह प्रावधान था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की

सजा होती है तो वह अगले छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं रहता है। मगर उसके खिलाफ तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता जब तक उसकी अपील किसी अदालत में विचाराधीन हो। समाचारपत्र क अनुसार अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करते हुए एक सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने की सुविधा भी प्रदान की है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब रामपुर की विधान सभा सीट रिक्त हो गई है? और क्या वहां पर उपचुनाव करवाया जाएगा?

इंकलाब (29 अक्टूबर) के अनुसार मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। अपनी जमानत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जमानत का हकदार था और मुझ आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। विधान सभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के बारे में मैं चुनाव आयोग से भी संपर्क करूंगा और इस फैसले को उच्च न्यायालय में भी चुनौती देंगे, क्योंकि मैं बेकुसूर हूं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना, जो आजम खान के खिलाफ अक्सर मुकदमे दर्ज कराते रहे हैं, इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला एक उदाहरण बनेगा और भविष्य में नेता सोच-समझकर अपनी जुबान का इस्तेमाल करेंगे। आजम खान चार बार मंत्री, एक बार लोक सभा सदस्य, एक बार राज्य सभा सदस्य और दस बार विधायक रहे हैं। वसे उनके खिलाफ 90 मुकदमे दर्ज हैं, मगर यह पहला मुकदमा है, जिसमें उनके खिलाफ फैसला आया है। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हम इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि हमें अदालत में अपना पक्ष पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सत्तारूढ़ दल के निशाने पर हैं। इसलिए वे उनके खिलाफ कोई न कोई कदम उठाते ही रहते हैं। आज देश का माहौल ऐसा है कि अगर आप भाजपा के नेता हैं तो आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठी मुकदमा दर्ज करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल में डाला जा सकता है और बुलडोजर द्वारा उसका घर गिराया जा सकता है। सरकार से सवाल करने वालों की जगह जेल में है। चाहे वह कोई विपक्षी नेता हो, पत्रकार हो या एक्टिविस्ट हो। आजम खान दर्जनों मामलों में एक लंबा समय जेल में काटकर आए हैं। जेल में होने से सबसे ज्यादा राहत योगी आदित्यनाथ को थी। कुछ समय पहले आजम खान ने अपनी संसद की सीट से त्यागपत्र देकर विधान सभा का चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से विजयी हुए थे। हालांकि यह चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए लड़ा था। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे सभी मामलों में अदालत से जमानत मिल गई और वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी उपस्थित रहने लगे। भाजपा के लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई बोलने वाला नता, जो मुसलमान भी हो, राज्य विधान सभा में आए। इस संबंध में 2019 के आम चुनाव के दौरान भाजपा के एक नेता की शिकायत बड़ी लाभदायक निकली। अब आजम खान को वैसे भी मुकदमो से फुसत नहीं है। ऐसे में एक और मुकदमा उनके सिर पर आ गया है।

अवधनामा (31 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान आखिर उस चक्रव्यूह में फंस ही गए, जो उनके चारों तरफ काफी समय से रचा जा रहा था। इसी वर्ष के मई महीने में वे छोटे-मोटे मुकदमों में 28 महीने जेल में गुजारने के बाद बाहर आए थे। मगर जेल से बाहर निकलते ही उन पर कई मुकदमे दर्ज हो गए। अब अदालत ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुना दी। अब भी 90 मुकदमो का फैसला होना बाकी है। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने

उनके खिलाफ दर्ज करवाया था। इस फसले के बाद आजम खान के राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सवाल यह है कि देश की कई अदालतों में भाजपा नेताओं के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, मगर अभी तक किसी के खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? यति नरसिंहानंद को सजा क्यों नहीं दी गई? कपिल मिश्रा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं आया? सिर्फ आजम खान को निशाना क्यों बनाया गया?

इत्तेमाद (31 अक्टूबर) ने कहा है कि इस फैसले से नेताओं को कुछ सबक मिलेगा, जो गैर जिम्मेवाराना भाषण देते रहते हैं। मगर सवाल यह है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अमित शाह और नरेन्द्र मोदी ने चुनाव अभियान में जो बयान दिए थे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नफरत के भाषण देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर जोर दिया है, मगर क्या केंद्र और राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ध्यान देंगी?

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) में शकील रशीद ने अपने संपादकीय में कहा है कि आजम खान के साथ जो हुआ है और हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनसे योगी को जबर्दस्त नफरत है। हालांकि इसे मुस्लिम दुश्मनी का भी नाम दिया जा सकता ह। योगी स्वयं को हिंदुत्व का पैरोकार समझते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि वे स्वयं को दूसरों के मुकाबले में बड़ा हिंदूवादी साबित करें। यह साबित करन के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि आजम खान को निशाना बनाकर सारे मुसलमानों को चुनौती दे दी जाए कि समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा नेता हमारे सामने नहीं ठहर सका तो तुम क्या ठहरोगे।

लेखक का कहना है कि आजम खान ने अपने भाषण में योगी और मोदी को निशाना बनाया था और अदालत ने उन्हें ही दोषी करार दे दिया। चलो मान लिया कि आजम खान मुजरिम ह, लेकिन सरकार से यह सवाल तो किया ही जा सकता है कि योगी-मोदी और उनके गुर्गे जो बोलते हैं क्या वह नफरत की बोली नहीं है? जब अमित शाह कहते हैं कि 'करंट शाहीन बाग तक जाए' तो क्या यह हेट स्पीच नहीं है? जब प्रवेश वर्मा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का नारा लगाते हैं, तो क्या यह हेट स्पीच नहीं मानी जाएगी? क्या आजम खान सिर्फ इसलिए दोषी हैं कि उनका संबंध एक विशेष संप्रदाय से है। पहले भी यह कह चुका हूं और फिर यह कह रहा हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं। पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को सत्ता के गलियारों से धकेलकर बाहर किया जाए ताकि ये लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और संविधान के नाम पर कोई जायज मांग भी न कर सकें। इसलिए विधान सभा और संसद से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटाया जा रहा है।

राजीव गांधी फाउंडेशन का एपसीआरए लाइसेंस रद्द

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन के उस लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वह विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती थी। गौरतलब है कि यह फाउंडेशन गांधी परिवार से संबंधित एक गैर सरकारी संस्थान है। बताया जाता है कि इस फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के कारण कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष हैं और इसके न्यासियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम के बाद यह संस्थान अब विदेशों से किसी भी तरह का फंड प्राप्त नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने जांच के बाद फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है।

इस फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी और 1991 से लेकर 2009 तक इस फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकलांगों की सहायता आदि पर काम किया गया। समझा जाता है कि फाउंडेशन के लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद इस फाउंडशन से जुड़े हुए लागों की परेशानियां बढ़ेंगी। जांच के लिए इस फाउंडेशन के हिसाब-किताब का मामला सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपे जाने की संभावना है। यह फाउंडेशन दो वर्ष पूर्व तब जांच के दायरे में आई थी, जब गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इसकी जांच करवाई थी। प्रवर्तन निदेशालय को गांधी परिवार से जुड़े हुए तीन संस्थानों- राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इस जांच में इन पर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने इनकम टैक्स और एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है। भाजपा प्रारंभ से ही इन संस्थानों को मिलने वाले फंड पर पश्न उठाती रही है। भाजपा के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फांउडेशन को चीन से फंड प्राप्त हुए थे। कांग्रेस ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहों की है। हालांकि इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में पदर्शनों का आयोजन किया था।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की राज्य सरकार से टक्कर

रोजनामा सहारा (20 अक्टूबर) के अनुसार केरल की वामपंथी सरकार और वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विवाद दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से हुई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में फैसला दिया था। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की नौ विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से त्यागपत्र मांगा था, जिसे उपकुलपतियों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को पत्र लिखकर राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालागोपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि बालागोपाल ने मंत्री बनते समय जो शपथ ली थी, उसका उल्लंघन किया है और वे जानबूझकर देश की एकता और संप्रभुता को क्षति पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि बालागोपाल ने 19 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने क्षेत्रीयता, प्रांतीयता की आग भड़कान और देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की थी। आरिफ मोहम्मद खान ने यह आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री की आय का मुख्य साधन शराब और लॉटरी है। बालागोपाल का कहना था कि राज्यपाल केरल की शिक्षा व्यवस्था को नहीं समझते।

सियासत (25 अक्टूबर) के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल आरएसएस के हाथों कठपुतली बन गए हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है। राज्यपाल का कार्य राज्य सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा को बरकरार रखना है, मगर दुर्भाग्य से केरल में ऐसा नहीं हो रहा है। केरल की उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.

आर. बिंदु ने राज्यपाल के उस आदेश की निंदा की थी, जिसमें उन्होंने राज्य क सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपितयों को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया था। उनका कहना था कि राज्यपाल का यह निर्देश गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है।

सियासत (19 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश में कांग्रेस के शासनकाल में आम तौर पर राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच कोई बड़ा विवाद खड़ा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि तब केंद्र और राज्य में कांग्रेस का ही शासन होता था और केंद्र सरकार की सिफारिश से ही राज्यपालों की नियुक्ति होती थी। मगर बाद में जब केंद्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों ने सत्ता में आना शुरू किया तो मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच टकराव शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगाती रही हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करते हैं। अब जबकि केंद्र में भाजपा सत्तारूढ़ है तो गैर भाजपा सरकारों का राज्यपालों से काफी शिकायतें हैं।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल की वामपंथी सरकार को परेशान कर रहे हैं। अब उन्होंने यह धमकी दी है कि वे राज्यपाल के पद का अपमान करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। उनका कहना है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रियों को परामर्श देने और निर्देश देने का पूरा संवैधानिक अधिकार होता है। मगर जिस तरह से केरल के मंत्री उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे राज्यपाल का पद का अपमान हो रहा है, इसलिए वे इन मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने विश्वविद्यालय संशोधन बिल पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने पर जो टिप्पणी की थी, उससे आरिफ मोहम्मद खान काफी आहत हैं। शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी थी कि वे बिल के प्रारूप को अपने पास दबाए रखने की बजाय उसे वापस कर दें। राज्यपाल ने मंत्रियों को बर्खास्त करने के बारे में जो धमकी दी है, उसके बाद केरल में सत्तारूढ़ पार्टी ने आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप लगाया है कि वे अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघ रहे हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो का कहना है कि राज्यपाल के ट्विट से राजनीतिक पक्षपात और वामपंथी दलों से उनकी नाराजगी साफ जाहिर होती है। पोलित ब्यूरो ने भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और केरल के राज्यपाल को इस तरह के संविधान विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ बयान जारी करने से रोकें। सीपीआईएम के सचिव एम.वी. गोविंदन का कहना है कि राज्यपाल संविधान और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधान सभा ने जो कानून पारित किया है उसे अपने पास रोके रखने का राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेसी नेता वी.डी. सतीशन ने कहा है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी मंत्री को बर्खास्त कर दें। उन्हें अपने पद की गरिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

सलमान रुश्दी हुए विकलांगता का शिकार

मुंबई उर्दू न्यूज (25 अक्टूबर) के अनुसार भारतीय मूल के विवादित लेखक सलमान रुश्दी हाल ही में हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले से विकलांग हो गए हैं। उनकी एक आंख और एक हाथ बेकार हो गया है। अब उन्हें न तो पूरी तरह से दिखाई देता है और न ही उनके हाथ काम करते हैं। रुश्दी के करीबी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय मूल के इस लेखक की यह हालत उन पर हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद हुई है। बीबीसी के अनुसार अभी तक सलमान के शरीर पर 15 से अधिक घाव हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है।

गौरतलब है कि उपन्यास 'द सैटनिक वर्सेज' के लेखक रुश्दी पर यह हमला 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में तब हुआ था, जब वे एक सेमिनार में भाषण देने वाले थे। इस लेखक का विवादित उपन्यास 1988 में प्रकाशित हुई थी, जिस पर मुस्लिम देशों में भारी हंगामा हुआ था और उन्हें पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन करने का दोषी ठहराया गया था। कई देशों के मुस्लिम उलेमाओं ने उनकी हत्या के लिए फतवे जारी किए थे। ईरान सरकार ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि जो व्यक्ति रुश्दी की हत्या करेगा उसे एक करोड़ डॉलर का ईनाम दिया जाएगा। इस घटना के बाद रुश्दी गत तीन दशक से अज्ञातवास में थे, क्योंकि उन्हें कत्ल की धमकियां लगातार मिल रही थीं। इस हमले के सिलसिले में 24 वर्ष के एक अमेरिकी मुस्लिम नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसका संबंध ईरान से बताया जाता है।

रोजनामा सहारा (30 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका ने सलमान रुश्दी पर हुए हमले से जुड़े हुए एक ईरानी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अलजजीरा ने अपनी रिपोर्ट मं कहा है कि अमेरिकी सरकार ने खोरदाद फाउंडेशन पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है और इसके बाद इस संस्थान के अमेरिका स्थित सभी खातों को सीज कर लिया गया है और अमेरिकी नागरिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस संगठन से कोई संबंध न रखें। अमेरिकी सरकार के एक प्रेस

नोट के अनुसार फरवरी 1989 में ईरान के धार्मिक प्रमुख अयातुल्लाह खुमैनी के आदेश के बाद खोरदाद फाउंडेशन ने सलमान रुश्दी की हत्या करने के लिए कई लोगों को लाखों डॉलर दिए थे। जब वे अपन लक्ष्य में सफल नहीं हुए तो बाद में इस ईनाम में और भी वृद्धि की गई।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के इस फतवे का लक्ष्य आतंकवाद और हिंसा को हवा देना और रुश्दी और उनके साथियों की हत्या करना था। अमेरिका की नजर में यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। हाल ही में जब रुश्दी पर हमला हुआ तो ईरान सरकार ने अधिकृत रूप से इस हमले से अपना दामन झाड़ लिया था। मगर ईरान ने उनकी हत्या के लिए ईनाम देने के फैसले को कभी

वापस नहीं लिया। अमेरिकी सरकार ने यह दावा किया है कि ईरानी खोरदाद फाउंडेशन ने इस लेखक की हत्या के लिए 30 लाख डॉलर बांटा था। इसके बाद इस वर्ष इस संगठन से संबंधित एक व्यक्ति, जो ईरानी मूल का है, ने रुश्दी पर हमला किया था।

अफगानिस्तान में इस्लामिक खिलाफत के एजेंटों की हत्या

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने यह घोषणा की है कि अफगान सुरक्षा बलों ने काबुल में आईएसआईएस के खुरासान विंग के एक अड्डे पर हमला करके कम-से-कम छह व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया। सरकारी प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी ने दावा किया है कि जिन लोगों को गोली से उड़ाया गया है, उनका अफगानिस्तान की एक मस्जिद और एक स्कूल पर हुए हमलों में हाथ था, जिनमें दर्जनों बेगुनाह मारे गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान अफगान सेना का एक व्यक्ति भी मारा गया। उन्होंने कहा कि मरने वाले लोगों का हाथ वजीर अकबर खान मस्जिद और स्कूल में हुए हमलों में था। इस्लामिक खिलाफत का खुरासान विंग इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ सक्रिय है और व सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुके हैं। जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनमें से अधिकांश शिया और हजारा कबीले से संबंधित हैं।

केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या की जांच की मांग

अवधनामा (27 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने केन्या सरकार से यह अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की रहस्यमयी मौत की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार की रहस्यमय मौत के बारे में समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने केन्या से यह मांग की है कि वह इस बात की जांच करवाए कि इस पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या किन हालात में हुई? केन्या सरकार ने यह दावा किया था कि शरीफ नैरोबी के समीप जब कार में बैठे हुए थे तो वे पुलिस की गोली लगने से मारे गए। पुलिस ने यह दावा किया था कि वह एक बच्चे के अपहरण के मामले में जब कारों की तलाशी ले रही थी, उसी दौरान यह घटना हुई।

सियासत (25 अक्टूबर) के अनुसार अरशद शरीफ की मौत के बारे में पहले यह दावा किया गया था कि उनकी मौत एक कार दुर्घटना में हुई है। मगर बाद में इस पत्रकार की पत्नी ने यह दावा किया कि उन्हें गोली मारा गया है। केन्या क एक स्थानीय अखबार 'द स्टार' ने यह दावा किया है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या पुलिस की गलती से की गई फायरिंग के कारण हुई है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि पुलिस ने सुरक्षा जांच के लिए सड़क को अवरुद्ध कर रखा था। अरशद शरीफ के ड्राइवर ने जब जांच चौकी पर गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस ने गोली चलाई और एक गोली इस पत्रकार के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और उनका ड्राइवर जख्मो हो गया। केन्या सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की ह। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी क लिए पाकिस्तान सरकार ने केन्या सरकार से संपर्क किया है और नैरोबी स्थित पाकिस्तानी दूतावास को यह निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (27 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की रहस्यमय मौत के कारण पाकिस्तान के पत्रकारों में काफी भय फैल गया है, क्योंकि यह पत्रकार पूर्व पधानमंत्री इमरान खान के नजदीकी लोगों में शामिल था और जब इमरान खान सत्ता से हटे तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। अरशद शरीफ एआरवाई टेलीविजन चैनल से संबंधित थे, जो न केवल पाकिस्तान सरकार के ही आलोचक थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भी अपना निशाना बनाया था। अपनी जान को खतरे में देखकर अरशद शरीफ भागकर दुबई चले गए थे और वहां वे दो महीने तक रहे। मगर बाद में वहां की सरकार के दबाव के कारण उन्हें वहां से

भागकर केन्या में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तानी राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा गरम है कि दुबई सरकार पर किस देश का दबाव था, जिसके कारण उसने अशरफ शरीफ को अपने देश से चले जाने का निर्देश दिया था।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अरशद शरीफ को 'टार्गेट किलिंग' का निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस घटना पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि पाकिस्तान में आज ऐसे हालात हो गए हैं कि किसी भी निष्पक्ष पत्रकार को काम करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के महामंत्री ने सरकार स मांग की है कि वह इस बात की उच्चस्तरीय जांच करवाए कि वे कौन लोग थे, जिनसे घबराकर अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर होना पड़ा था।

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता इफ्तिखार बाबर ने कहा है कि अरशद शरीफ की हत्या के बारे में पाकिस्तानी सेना पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं और उसे बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके कारण यह जरूरी है कि पाकिस्तान सरकार एक न्यायिक आयोग बनाए, जो इस घटना की जांच करे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी इस पत्रकार की हत्या की निंदा की है। मृतक के शव को जब कन्या से इस्लामाबाद लाया गया तो उनकी नमाज-ए-जनाजा में पाकिस्तानी पत्रकार भारी संख्या में शामिल हुए।

रोजनामा सहारा (29 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए अरशद शरीफ की हत्या के मुद्दे को उछाल रहे हैं। यह बेहद खतरनाक खेल है। वे जानबूझकर सेना के खिलाफ देश में वातावरण बनाने का पयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने ही अरशद शरीफ को पाकिस्तान से चले जाने का निर्देश दिया था।

म्यांमार की सेना पर गंभीर आरोप

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार म्यांमार में मानवाधिकारों के दूत टाम एंड्रयूज ने आरोप लगाया है कि म्यांमार की सेना लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वालों की सुनियोजित ढंग से हत्या कर रही है। उन्होंने विश्व के देशों से यह मांग की है कि निर्दोषों की हत्याओं को रोकने के लिए यह जरूरी है कि म्यांमार की सेना को अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई बंद की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि सेना म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली करन वालों के खिलाफ जो अस्त्र-शस्त्र इस्तेमाल कर रही है, वह उसे रूस से प्राप्त हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पश की गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि म्यांमार में सेना अब तक 2300 लोगों की हत्या कर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सेना ने जब से लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटा है, वहां के जनांदोलन को कुचलने के लिए रूस बराबर अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गत सप्ताह काचिन नामक स्थान पर म्यांमार की सेना के हवाई हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं। इन हत्याओं को रोकने के लिए विश्व के देशों को सख्त कदम उठाने चाहिए।

इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस रिपोर्ट पर विभिन्न देशों में गंभीर मतभेद हैं। रूस और चीन द्वारा म्यांमार की फौजी सरकार पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का विरोध किया जा रहा है।

फ्रांस दो हजार यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण देगा

इंकलाब (17 अक्टूबर) के अनुसार फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबस्टियन लेकोर्नू ने यह घोषणा की है कि फ्रांस अपने देश में दो हजार यूक्रेनी सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देगा। ये सैनिक कई सप्ताह तक हमारी यूनिटों में शामिल रहेंगे। उन्हें तीन-तीन श्रेणियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त उन्हें विदेशी हथियारों को चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भागीदार नहीं हैं, मगर फिर भी हम रूसी हमले के बाद युद्ध के शिकार एक देश की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि फ्रांस ने यूक्रेन को क्रिस्टल एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने का फैसला किया है, ताकि यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से अपनी सुरक्षा कर सके। यह एयर डिफेंस सिस्टम दो महीने के अंदर यूक्रेन को सप्लाई कर दिया जाएगा। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने की पुष्टि की है।

इंकलाब (20 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी समाचारपत्र 'वाशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के 500 से अधिक उच्चाधिकारी विश्व के अनेक देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनमें कई जनरल और एडमिरल भी शामिल हैं। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि ये अमेरिकी पूर्व सैनिक अधिकारी उन देशों को भी सहयोग दे रहे हैं, जो मानवाधिकारों के हनन के लिए बदनाम हैं। समाचारपत्र के अनुसार ये पूर्व अमेरिकी अधिकारी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अनेक मुस्लिम देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें उन्नत कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि 500 से अधिक सेवानिवृत्त उच्च सैनिक अधिकारियों को विदेशों में काम करने की अनुमति दी गई है।

ईरान में मस्जिद में घुसकर शियाओं की हत्या

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार ईरान के फार्स प्रांत में शियाओं की मशहूर दरगाह शाह चिराग में श्रद्धालुओं पर सुन्नी संगठन आईएसआईएस के आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके कारण कम-से-कम 15 श्रद्धालु मारे गए। बताया जाता है कि शिराज नामक नगर में ईमाम अहमद बिन मूसा अल-काजिम की मजार पर जब श्रद्धालु जियारत कर रहे थे तो सुन्नी संगठन आईएसआईएस के तीन आतंकवादी मजार के अंदर घुस गए और उन्होंने श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें कम-से-कम 15 लोग मौके पर मारे गए। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। ईरानी सैनिकों ने दो आतंकवादियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और यह दावा किया है कि इस हमले में कम-से-कम 25 लोग मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं।

एसोसिएटेड प्रेस (30 अक्टूबर) के एक समाचार के अनुसार जो एक आतंकवादी सुरक्षा सैनिकों की गोली से घायल हो गया था, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। ईरान सरकार ने इस हमले के पीछे पश्चिमी शक्तियों का हाथ बताया है, जो हिजाब के खिलाफ राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शनों को प्रोत्साहन दे रही हैं। इस हमल में मारे गए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के अवसर पर क्रांतिकारी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने ईरानियों से अपील की है कि वे अब पदर्शनों का सिलसिला बंद कर दें, वरना सेना उनके साथ सख्ती से निपटेगी। अमेरिकी संवाद समिति ने इन प्रदर्शनों को ईरान के वर्तमान इतिहास में सबसे उग्र बताया है और यह दावा किया है कि इन प्रदर्शनों में कम-से-कम 270 लोग मारे जा चुके हैं और 14 हजार से अधिक लोगां को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा चुका है। यह प्रदर्शन पूरे ईरान के 125 नगरों में फैल चुके हैं। ईरान सरकार ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनकारियों को तुरंत गोली से उड़ा दें। इसके

बाद जाहेदान नगर में हुए पदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सेना ने गोली चलाई, जिसमें एक दर्जन लोग मारे गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अक्टूबर) के अनुसार कुर्द युवती महसा अमीनी के परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। ईरानी सैनिकों ने उस कब्रिस्तान में जमा हुए लोगों पर भी गोली चलाई, जहां पर महसा अमीनी को दफनाया गया है। ईरानी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस आंदोलन में महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं और वे हिजाब और बुर्को को सरेआम जला रही हैं।

अवधनामा (31 अक्टूबर के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि शिराज में बेगुनाह शियाओं की जिस तरह से हत्या की गई है, उससे साफ है कि दुश्मन ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सुन्नी संगठन इस्लामिक खिलाफत और लंदन में स्थापित ईरान विरोधी टीवी नेटवर्क से संबंध रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम किसी भी कीमत पर विदेशी एजेंटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अक्टूबर) के अनुसार महसा अमीनी के चेहलुम के मौके पर ईरान में उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी 'तानाशाही मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे। दर्जनों स्थानों पर ईरानी सैनिकों और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुईं। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उनकी हमदर्दी ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ है और वह उनका समर्थन जारी रखेगी। इसके अतिरिक्त कनाडा, फ्रांस और जर्मनी ने भी इन प्रदर्शनों पर गोलीबारी की निंदा की है और प्रदर्शनकारियों के समर्थन की घोषणा की है।

अवधनामा (29 अक्टूबर) के अनुसार छह सप्ताह से खूनी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। महसा अमीनी के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर सैनिकों ने गोली चलाई, जिसमें कम-से-कम आठ लोग मारे गए। अहमादाबाद नगर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों पर हमला करके उन्हें आग लगा दी।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) के अनुसार ईरानी सैनिकों ने देश के कई विश्वविद्यालयों के परिसरों में घुसकर छात्रों को गिरफ्तार किया और उन पर गोलियां चलाईं। तेहरान में अमीर कबीर विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों ने ईरान के धार्मिक गुरुओं के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें हत्यारा करार दिया। मशहद में फिरदौसी विश्वविद्यालय में सैनिकों ने घुसकर दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार किया।

मस्जिद-ए-नबवी में हंगामा करने वाले पाकिस्तानी रिहा

रोजनामा सहारा (27 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद-ए-नबवी में हंगामा करने के आरोप में पकड़े गए सभी पाकिस्तानियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी सरकार से यह अनुरोध किया था कि इस वर्ष के अप्रैल महीने में मस्जिद-ए-नबवी में हंगामा करने के आरोप में जिन पाकिस्तानियों को छह से आठ वर्ष की सजा सुनाई गई थी, उन्हें रिहा किया जाए। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे

तो उनके खिलाफ पाकिस्तानियों ने उग्र प्रदर्शन किया था और कहा था, 'चोरों वापस जाओ'। इस दौरे में उनके साथ बिलावल भुट्टो, मिफ्ताह इस्माइल, शाहजन बुगती, मरयम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, मौलाना ताहिर अशरफी आदि पाकिस्तानी मंत्री भी मौजूद थे। बताया जाता है कि प्रदर्शन करने वालों का संबंध पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से था।

अवधनामा (29 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्रो शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया और उन्होंने अरब देशों से अपील की है कि वे पाकिस्तान में पूंजी निवेश करें, ताकि वह आर्थिक संकट से उबर सके और लोगों को रोजगार मिल सके।

यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का फैसला रद्द

रोजनामा सहारा (19 अक्टूबर) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का जो फैसला किया था, उसे वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि यरुशलम पर इजरायल और फिलिस्तीनी जनता के बीच समझौता होने के बाद ही इस संबंध में कोई फैसला किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा इजरायल का दोस्त रहेगा। परंतु हम यह चाहते हैं कि यरुशलम के विवाद को संबंधित पक्ष आपसी बातचीत से सुलझाएं।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दिसंबर 2018 में यह घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिका ने यरुशलम में अपना दूतावास खोलने का जो निर्णय किया था, उसे कार्यान्वित नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश क पूर्व प्रधानमंत्री ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का जो फैसला किया था, उसके कारण इजरायल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग हो गया था और इंडोनेशिया ने इस फैसले पर चिंता पकट की थी। विश्व के देशों के दबाव को देखते हुए हमने इस फैसल को बदलने का निर्णय किया है।

तुर्की की खदान में धमाके से 61 मरे

मुंबई उर्दू न्यूज (16 अक्टूबर) के अनुसार उत्तरी तुर्की की एक कोयला खदान में हुए धमाके में कम-से-कम 41 लोग मारे गए और सैकड़ों मलबे में दबे हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह घोषणा की है कि इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खदान के मलबे को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, ताकि उसके अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फातिह डोनमेज ने कहा है कि संतोष की बात यह है कि खदान में आग नहीं लगी है और यह धमाका मिथेन गैस के कारण हुआ है, जिससे भूमिगत खदान का काफी हिस्सा ध्वस्त हा गया। यह खदान तुर्की सरकार की मिल्कियत है। इससे पहले तुर्की के इतिहास में कोयला खदान में सबसे बड़ा धमाका 2014 में हुआ था, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे।

ईरान में दस इजरायली जासूस गिरफ्तार

इत्तेमाद (26 अक्टूबर) के अनुसार ईरान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार ईरान की गुप्तचर एजेंसियों ने ईरान के प्रांत अजरबैजान से दस इजरायली जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद से है। ये जासूस ईरानी सेना के कुछ अधिकारियों के संपर्क में थे और उनके सहयोग से ईरान के सैनिक अधिकारियों का अपहरण करके उनसे जबरन गुप्त जानकारी प्राप्त करते थे। ईरान सरकार ने यह दावा किया है कि मोसाद ने अनेक ईरानी अधिकारियों को भारी मात्रा में रिश्वत देकर खरीद रखा था और इन जासूसों का संबंध मोसाद के मुख्यालय से था। यह गिरोह अजरबैजान, तेहरान और होर्मोज्गान में सक्रिय था। इस गिरोह ने कई ईरानी सैनिक अड्डों को तबाह करने का भी प्रयास किया था और कुछ परमाणु केंद्रों को भी नुकसान पहुंचाया था।

ईरान में बीबीसी की फारसी सेवा पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (21 अक्टूबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि देश में चल रहे जनांदोलनों के बारे में भ्रामक समाचार देने के कारण अनेक विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे ईरान में दंगों और आतंकवाद की गतिविधियों को न सिर्फ उकसा रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। जिस विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें बीबीसी की फारसी सेवा, वाल नेट मीडिया, ग्लोबल मीडिया, डीएमए मीडिया, ईरान विरोधी टीवी चैनल और ईरान इंटरनेशनल चैनल शामिल हैं। ईरान सरकार ने इन मीडिया संस्थानों से संबंधित पत्रकारों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उनके ईरान में प्रवेश और समाचार संकलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा पाकिस्तान को डेढ़ अरब डॉलर की सहायता

इंकलाब (27 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए एशियाई विकास बैंक ने एक अरब 50 करोड़ डॉलर की धनराशि पाकिस्तान सरकार को दी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि हाल ही में पाकिस्तान में जो भारी वर्षा हुई है, उसके कारण दो करोड़ के लगभग लोग बेघर हो गए हैं। इस संकट को देखते हुए एशियाई बैंक ने हमें यह सहायता दी है ताकि हम वर्तमान संकट का सफलता पूर्वक सामना कर सकें और बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकें।

दिल्ली के इमामों को वेतन न मिलने से परेशानी

इंकलाब (19 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली में पिछले छह महीने से मस्जिदों के इमामों को वक्फ बोर्ड ने वेतन की धनराशि का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण उनके घरों में भुखमरी की नौबत आ गई है। वक्फ बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि इन इमामों के वेतन के भुगतान के लिए जो फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई थी, उसकी अभी तक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के दो सदस्यों नईम फातिमा काजमी और चौधरी शरीफ अहमद ने दिल्ली सरकार से यह

शिकायत की है कि वक्फ को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई इमामों ने शिकायत की कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष 35 करोड़ का अनुदान देती है। जबकि इमामों का वेतन सिर्फ छह करोड़ ही बनता है। इसके बावजूद उन्हें जानबूझकर गत कई वर्षों से परेशान किया जा रहा है। वेतन का भुगतान न होने के कारण वे भुखभरी के शिकार हैं।

बलूचिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की हत्या

रोजनामा सहारा (16 अक्टूबर) के अनुसार बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद नूर मेस्कनजई की गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वे खारन नगर में एक मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे। समाचारपत्र 'डॉन' के अनुसार खारन के उपायुक्त आसिफ हलीम ने उनकी हत्या की पुष्टि की है और कहा है कि पुलिस हत्यारों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल क़द्दुस बिजेंजो ने बहादुर और निडर न्यायाधीश की मौत पर शोक व्यक्त किया है। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमल खान काकर ने कहा है कि वकील तीन दिन तक शोक मनाएंगे और अदालतों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने मांग की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

सऊदी कंपनी के अधिकारी उत्तराखंड जेल में

इंकलाब (27 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक सप्ताह तक उत्तराखंड की चमोली जेल में रहना पड़ा। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सेटेलाइट फोन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में एक हजार रुपए जुर्माना देने पर उन्हें रिहा किया गया। ब्रिटेन के समाचारपत्र 'फाइनेंशियल टाइम्स' के अनुसार फर्गस मैकलियोड नामक इस अधिकारी को तब गिरफ्तार किया गया था, जब व उत्तराखंड में 'वैली ऑफ फ्लावर' को देखने के लिए गए थे। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सेटेलाइट फोन को अपने साथ रखने के कारण हिरासत में लिया था। चमोली के उपायुक्त श्वेता चौबे ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि देश में किसी भी विदेशी को बिना अनुमति सेटेलाइट फोन अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। इस अधिकारी को इस कानून की जानकारी नहीं थी। इसलिए एक सप्ताह बाद अदालत ने एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

RNI No. DELHIN/2017/72722

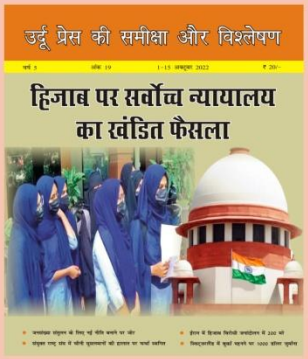

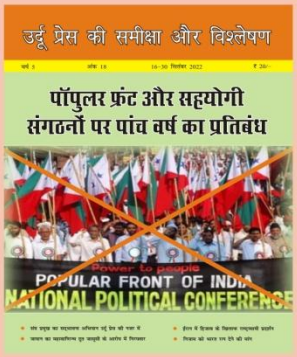

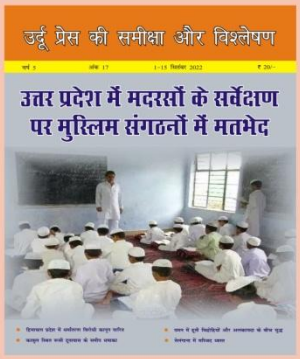

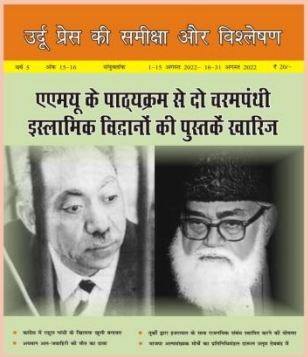

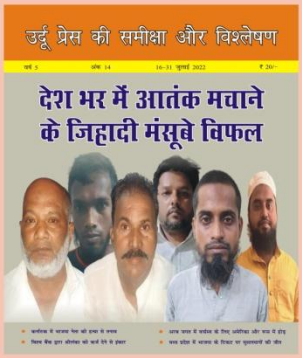

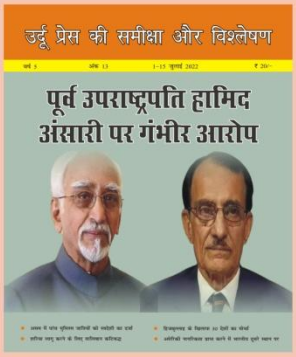

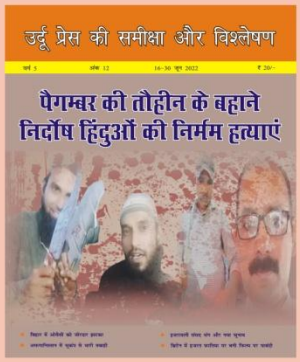

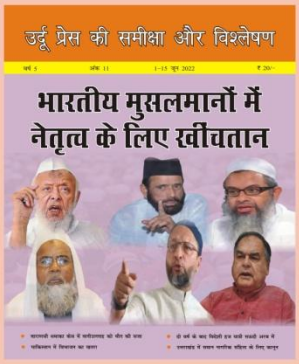

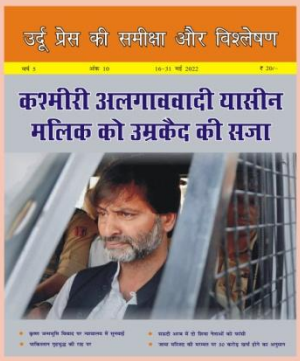

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीप्तेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in